

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 18, बुधवार, शके 1947- जुलाई 09, 2025 Asadha 18, Wednesday, Saka 1947- July 09, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 23, 2025

संख्या:17/भू.अ./ज.स./2025/1025-1029 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ Construction of Link Channel to Divert Water From Matrikundiya Dam to Dindoli Feeder Tehisl Rashmi Distrct Chittorgarh के डूब क्षेत्र में आ रही भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, चित्तौड़गढ़ को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा, जिला राजसमन्द होंगे।

नोट:- Rajkaj Ref No 15612888 Date 02.06.2025 द्वारा जारी अधिसूचना को निरस्त कर पुनः अधिसूचना जारी की जाती है।

विवरण

Construction Of Link Channel to Divert Water From Matrikundiya Dam to Dindoli Feeder Teh. Rashmi District Chittorgarh की भूमि के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमिअर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव जिला राजसमन्द।

क्र. स.	परियोजना का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी का नाम
1	Construction Of	कुण्डिया/	कुण्डिया/	रेलमगरा	राजसमन्द/	भूमि अवाप्ति

Link Channel to Divert Water From Matrikundiya Dam to Dindoli Feeder Teh. Rashmi District Chittorgarh	नवलपुरा	हरनाथपुरा	/ राशमी	चित्तोडगढ़	अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा/ राशमी
---	---------	-----------	---------	------------	---

फार्म-2

(देखे-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड चित्तोडगढ़
	प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	Construction Of Link Channel to Divert Water From Matrikundiya Dam to Dindoli Feeder The. Rashmi District Chittorgarh की भूमि के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई / सुनवाईया भी दे।	परामर्श सर्वेक्षण सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और / भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारणप्रकटीकरण की रीती के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ङ)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जायेगी।	हाँ

(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने सम्बन्धी जानकारी	अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड चित्तोडगढ
-----	---	---

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।